

## बुलडोज़र न्याय

### चर्चा में क्यों

हाल ही में **भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India- SC)** ने "बुलडोज़र न्याय" की प्रथा की आलोचना की तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना **वधिकाे शासन** का उल्लंघन है।

### मुख्य बटुः

- "बुलडोज़र न्याय" से तात्पर्य आपराधिक गतवधियों या दंगों में संलपितता के संदगध व्यक्तियों की **संपत्तिकाे बुलडोज़र का उपयोग करके ध्वस्त करने** की प्रथा से है, जसमें प्रायः **वधिकाे उचति प्रकरया** का पालन नहीं कया जाता है।
  - उत्तर प्रदेश, दल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र सहति वभिन्न भारतीय राज्यों में इस प्रथा की सूचना मली है।
  - अतकिरण या **अनधकृत नरिमाण के लयि नगरपालिका कानूनों के तहत** प्रायः ध्वस्तीकरण को उचति ठहरया जाता है।
- यह प्रथा उचतम न्यायालय के नरिणों जैसे- [REDACTED] तथा [REDACTED] **उचति प्रकरया आवशुकताओं** को दरकनार कर देती है।
  - उचतम न्यायालय ने हाल ही में इस प्रथा की नदि की है तथा इस बात पर ज़ोर दया है क आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना **वधिकाे शासन** और **वधिकाे उचति प्रकरया** का उल्लंघन है
- उचतम न्यायालय ने गैर-कानूनी ध्वस्तीकरण पर उपयुक्त अखलि भारतीय दशा-नरिदेश तैयार करने के लयि संबंधति पक्षों से सुझाव आमंत्रति कयि हैं
- एक वशिलेषण से पता चला है क **प्रकरयात्मक दशा-नरिदेशों को प्रासंगकि कानून और नयिमें** में शामिल कया जाना चाहयि परत्येक चरण पर अनेक जाँच-पड़ताल बटुओं के साथ चरणबद्ध तरीके से संरचति कया जाना चाहयि, ताक यह सुनश्चिति कया जा सके क कोई भी परतकूल या अपरविरतनीय कार्यवाही करने से पहले **सभी आवशुक कदम** उठाए जाएँ।
  - **वधिवंस-पूर्व चरणः**
    - **सबूत का भारः** वधिवंस और वसिथापन को उचति ठहराने के लयि सबूत का भार प्राधकिारयिों पर डालना, जससे मानव अधकिारों की सुरक्षा सुनश्चिति हो सके।
    - **नोटसि और प्रचारः** भूम अभलिखों और पुनरवास योजनाओं के बारे में जानकारी सहति एक तरकपूर्ण नोटसि प्रदान करना तथा प्रभावति व्यक्तियों को प्रतकिरया देने के लयि पर्याप्त समय देना।
    - **स्वतंत्र समीक्षाः** सभी नयिजति ध्वस्तीकरणों, वशेषकर आवासीय कषेत्रों में, की समीक्षा न्यायकि समुदाय और नागरकि समाज के सदस्यों वाली एक नषिपक्ष समतिद्वारा की जानी चाहयि।
    - **सहभागति और योजनाः** प्रभावति पक्षों से वैकल्पकि आवास और मुआवजे के लयि बातचीत करना तथा साथ ही कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना। नोटसि एवं वधिवंस के बीच कम-से-कम एक महीने का समय देना चाहयि।
- **वधिवंस के दौरानः**
  - **बल का न्यूनतम प्रयोगः** शारीरकि बल और बुलडोज़र जैसी भारी मशीनरी के प्रयोग से बचना।
  - **आधकिारकि उपस्थतिः** इस प्रकरया की नगिरानी के लयि वधिवंस में शामिल न होने वाले सरकारी अधकिारयिों की उपस्थति सुनश्चिति करना।
  - **नरिधारति समयः** अचानक कार्यवाही से बचने के लयि ध्वस्तीकरण का समय पहले से तय कया जाना चाहयि।
- **वधिवंस के बाद (पुनरवास)ः**
  - **पुनरवासः** यह सुनश्चिति करने के लयि क कोई भी बेघर न रहे, पर्याप्त अस्थायी या स्थायी आवास समाधान प्रदान करना।
  - **शकियात नवारणः** प्रभावति व्यक्तियों के लयि ध्वस्तीकरण नरिणों को चुनौती देने हेतु त्वरति शकियात नवारण तंत्र स्थापति करना।
  - **उपायः** मुआवज़ा, कषतपूरति तथा मूल घरों में संभावति वापसी जैसे उपाय सुनश्चिति करना।

